16/4/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व तहसीलदार फुलेरा उपस्थित। मूलवाद पोषणीय न होने के कारण खारिज हो चुका है। प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.13 12:48:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 जाप्ता दीवानी व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा संलग्न दस्तावेज संपरिवर्तन आदेश के उल्लेख से न्यायालय के समक्ष तथ्य आया है कि वादभूमि का संपरिवर्तन हो चुका है। अतः मूल वाद खारिज होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादभूमि खसरा नं० 219, 590/220, 591/220, 728/224, पोषणीय न होने पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Rw

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.13 12:48:43 IST
Reason: SelfAttested